

प्रेषक,

देवेश मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),

लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सेक्टर के 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 07 नगरीय निकायों में पेयजलापूर्ति के कार्य हेतु कुल रूपये 1024.03 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में **₹0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदया निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र०स०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	सीतापुर	नगर पंचायत, पैतेपुर	115.95	50.00
2	सीतापुर	नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद	109.86	50.00
3	लखीमपुर-खीरी	नगर पालिका परिषद, लखीमपुर-खीरी	109.87	50.00
4	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	221.40	100.00
5	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	180.75	100.00
6	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	176.35	100.00
7	लखनऊ	नगर पंचायत, मलिहाबाद	109.85	50.00
योग-			1024.03	500.00


## नियम व शर्तों / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-3355/नौ-5-2025-63सा/2025 दिनांक 10 जून, 2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
- (5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (7) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (11) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (12) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 5,00,00,000 ( रुपये पाँच करोड़ मात्र )** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।


4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
  
( देवेश मिश्र )  
संयुक्त सचिव।

**संख्या- 583/2026/237/नौ-5-2026/001-Com.No.2007855, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**


- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
- 5- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 8- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं परिकल्प सेवायें(वि०/यां०, विंग) यूनिट-द्वितीय, उ०प्र० जल निगम(नगरीय)।
- 9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र० प्रयागराज।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 12- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, महमूदाबाद(सीतापुर)/लखीमपुर-खीरी(लखीमपुर-खीरी)/पैतेपुर(सीतापुर)/मलिहाबाद(लखनऊ)।
- 13- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

  
(देवेश मिश्र)  
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-583/2025/237/नौ-5-2025/001-Com.No.2007855, दिनांक 17-01-2026 का संलग्नक  
(धनराशि रूपये लाख में)

क्र०सं०	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1-	नगर पंचायत, पैतेपुर, जनपद- सीतापुर	Estimate for Construction of 300x200mm size of 200/180m deep 1 no Rebore Tubewell with Repairing of 350 KL old Over Head Tank works at Jalkal Campus Jaini Tola, Naar Panchayat Paintepur, District-Sitapur.	115.95	
		योग-	115.95	50.00
2	नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर	Estimate for Construction of 300mm X200mm dia size of 165/150M Deep New Tube Well at Palika Parishad Mahmudabad. District. Sitapur.	109.86	
		योग-	109.86	50.00
3	नगर पालिका परिषद, लखीमपुर, जनपद-लखीमपुर- खीरी	Estimate for Construction of 300mm X 200mm dia size of 165/150M Deep New Tube Well at Palika Parishad Lakhimpur. Distruct-Lakhimpur Kheri.	109.87	
		योग-	109.87	50.00
4	नगर निगम, लखनऊ	Estimate for Construction of 03 Nos.New Tubewell of 300x200mm size of 180/165m Deep and allied works in Sarojini Nagar Constituency Zone-8, Jalkal Vibhag Nagar Nigam, Lucknow.	221.40	
		योग-	221.40	100.00
5	नगर निगम, लखनऊ	Estimate for Repalcement of Pumping Plant, LT Panel, starter, Electrical wiring and Renovation of Pump House at E-Block Zonal Pumping Station Rajajipuram, Zone-2 Jalkal Nagar Nigam, Lucknow.	180.75	
		योग-	180.75	100.00

6	नगर निगम, लखनऊ	1- Estimate for Replacement of Pumping Plant, LT Panel, starter, Electrical wiring and Renovation of Pump House at Rani Katra Zonal Pumping Station, Zone-6 Jalkal Nagar Nigam, Lucknow.	85.64	
		2- Estimate for Replacement of Pumping Plant, LT Panel, starter, Electrical wiring and Renovation of Pump House at Krishnanagar Zonal Pumping Station, Zone-5 Jalkal Nagar Nigam, Lucknow.	90.71	
		<b>योग-</b>	<b>176.35</b>	<b>100.00</b>
7-	नगर पंचायत, मलिहाबाद, जनपद- लखनऊ	Estimate for Construction of 300mmx200mm dia size of 180/165M Deep New/Rebore Tube Well at Ward No. 1 & Ward No. 6, Nagar Panchayat Malihabad, District-Lucknow.	109.85	
		<b>योग-</b>	<b>109.85</b>	<b>50.00</b>
		<b>महायोग-</b>	<b>1024.03</b>	<b>500.00</b>

  
 (देवेश मिश्र)  
 संयुक्त सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-17/01/2026


प्रेषण संख्या:- 583  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-583-2026-237-9-5-2026-001-CN-2007855  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
01 - जलपूर्ति  
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 176449000	50000000 176449000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 176449000	50000000 176449000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ चौसठ लाख उनचास हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
विशेष सचिव